न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 65 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जोराराम		बाबूलाल वगैरह

अन्तर्गत धारा 131,132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(रास्ते की समस्या समाधान निराकरण अभियान–2016 के अंतर्गत जारी परिपत्र के संदर्भ में)

उपस्थित श्री भंवरलाल जांखड अधिवक्ता प्रार्थी, श्री प्रेमदेवडा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

दिनांक 27/12/2023

निर्णय

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर में अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 20.06.2018 प्रकरण संख्या 717 / 218 में निर्णय दिनांक 25.07.2022 के द्वारा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 20.06.2018 को खारिज करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रास्ते के संबंध में प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं विषयवस्तु के अनुरूप संबंधित समुचित विधिक प्रावधानों के मध्येनजर प्रदत्तः शक्तियों को ध्यान में रखते हुए एवं न्यायिक प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करते हुए संबंधित प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिसम्मतः आदेश पारित किये जाने हेतु रिमाण्ड किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आदेशानुसार पत्रावली में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए जरिये सम्मन तलब किया गया। सभी पक्षकार के स्वयं द्वारा तामिल सम्मन शामिल पत्रावली किये गये। मौका रिपोर्ट वास्ते तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी कर तलब की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक एलआर / 2022 / 3335 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली हैं। अप्रार्थी अधिवक्ता भवरलाल चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट पर प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की गई। इस पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दोनों पक्षों की मौजुदगी में मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया गया, जिसे खारीज किया जावें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों की

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उपस्थिति में मौका रिपोर्ट का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी की गई।

तहसीलदार लूणी के पत्रांक भू.अ./2023/2105 दिनांक 17.10.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट अनुसार आलौच्य रास्ता का प्रस्ताव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के आदेश क्रमांक/भू.अ./2023/रा.ला. अदालत/2016/12663–12675 दिनांक 02.09.2016 व श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(2) राज–6/2023 पार्ट/4 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 के निरन्तर में चालू कदीमी एवं स्थाई रास्ते के राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं राजस्व नक्शें में तरमीम करने के आदेश की पालना में मौका जांच कर प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार –2018 केम्प ग्राम पंचायत धांधिया में पेश हुआ तथा इसी दिन दिनांक 20.06.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया गया तथा राजस्व नक्शें में आलौच्य रास्ते की तरमीम की गई, जो वर्तमान रेकर्ड एवं ऑनलाईन नक्शें में भी इन्द्राज हैं।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा विस्तृत विश्लेषण एवं अध्ययन किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व प्राधिकारी जोधपुर द्वारा इस प्रकरण में प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप तथा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार आलौच्य रास्ता का प्रकरण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,जोधपुर के आदेश क्रमांक /भू.अ./रा.लो. अदालत/2016/12663–12675 दिनांक 02.09.2016, श्रीमान संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र क्रमांक प3 (2) राज–6/2003 पार्ट 14 दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्याओं का निराकरण अभियान 2016 के निरन्तर में चालू कदीमी एवं स्थाई रास्ते के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं राजस्व लटठें नक्शें में तरमीन की गई। उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर चल रहा है तथा राजस्व रेकर्ड में खातेदारों के नाम गैर मुमकिन रास्ता इन्द्राज है तथा ऑनलाईन नक्शें में भी अलग–अलग बट्टा नम्बर सहित गैर मुमकिन रास्ता अंकित हैं। उक्त रास्ता सभी खातेदारों द्वारा सहमति प्रकट करने पर प्रस्ताव तैयार कर आदेश पारित किया गया, जिसे निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थायी सार्वजनिक रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी में ही रखा गया तथा राजस्व नक्शें में अलग से खसरा नम्बर दिया गया। पत्रावली में संबंधित खातेदारों द्वारा 100/–रूपयें के स्टाम्प पर रास्ते के लिये भूमि का समर्पणनामा लिखवाया जाकर सहमति प्रकट की गई।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

अतः उक्त रास्ता का प्रस्ताव प्रार्थीगण जोराराम वगैरा के राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प–खेजडली कलां दिनांक 18.06.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तैयार कर दिनांक 20.06.2018 को कैम्प ग्राम पंचायत धांधिया में पेश होने पर आदेश पारित हुआ, जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 अ के तहत नही होकर राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्याओं का निराकरण अधिनियम 2016 के निरन्तर में चालू कदीमी एवं स्थाई रास्ते के राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पेश होना प्रतीत होता हैं। न्यायिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप दोनों पक्षकारान् की समुचित सुनवाई पश्चात् उक्त रास्ता का प्रस्ताव जोकि दिनांक 20.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प धांधिया में पेश हुआ को पुनः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम खेजडलीं के खसरा नम्बर 88 में 0.17 बीघा, खसरा नम्बर 76/3 में से 0.08 बीघा , खसरा नम्बर 76/2 में से 0.09 बीघा , खसरा संख्या 78 में से 0.11 बीघा तथा खसरा नम्बर 80 में से 1.05 बीघा भूमि गैर मुमकिन रास्ता का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करते हुये राजस्व लट्ठे नक्शें में अलग से बट्टा नम्बर अंकित कर तरमीम करें। उक्त रास्ते की भूमि खातेदार के खाते में ही होगी।

(पुखराज कांसोटिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर ग्रामीण